भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1431

उत्तर देने की तारीख : 12.12.2023

ट्रांसजेंडर संबंधी डाटा

1431. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), यूडीआईएसई और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जैसे प्रमुख राष्ट्रीय डाटा स्रोतों के अंतर्गत ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग श्रेणी न होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या ट्रांसजेंडर लोगों के विषय में भिन्न-भिन्न आंकड़ों की कमी उनके विकास के लिए सामाजिक लाभ योजना या नीति निर्माण को बाधित करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का आंकड़े एकत्र करने और नीति निर्माण के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क): इस मंत्रालय ने ट्रांसजेण्डर समुदाय को मुख्यधारा में लाने तथा उनके लिए कल्याण उपाय करने हेतु उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 तथा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 अधिनियमित किए हैं। मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रपत्रों में जहां भी लिंग संबंधी सूचना संकलित की जानी है, वहां पुरुष तथा महिला श्रेणी के साथ-साथ "ट्रांसजेण्डर व्यक्ति" भी शामिल किया जाए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, "ट्रांसजेण्डर" की तृतीय लिंग श्रेणी को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 के रूप में जोड़ा गया है। संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, एकीकृत जिला सूचना प्रणाली शिक्षा प्लस (यूडीआईएसई+) ट्रांसजेण्डर लोगों से संबंधित आंकड़े तथा राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) चयनित परिवारों में 'ट्रांसजेण्डर' श्रेणी सहित परिवार के प्रत्येक सदस्य की लिंग संबंधी सूचना एकत्र करते हैं।

(ख) से (घ): जी, नहीं। इस मंत्रालय की "**स्माइल-आजीविका तथा उद्यम हेतु लाभवंचित लोगों को सहायता**" नामक स्कीम है, जिसमें 'ट्रांसजेण्डर लोगों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम' नामक उप-स्कीम शामिल है। यह उप-स्कीम ट्रांसजेण्डर समुदाय के सशक्तीकरण के लिए ट्रांसजेण्डर लोगों के कौशल विकास तथा आजीविका, ट्रांसजेण्डर लोगों के लिए समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य, ट्रांसजेण्डर लोगों के लिए 'गरिमा गृह' के रूप में आवास, ई-सेवाएं (राष्ट्रीय पोर्टल तथा हेल्पलाइन और विज्ञापन), ट्रांसजेण्डर सुरक्षा सेल का प्रावधान तथा अन्य कल्याण उपायों के रूप में ट्रांसजेण्डर लोगों की सहायता करती है।

राष्ट्रीय ट्रांसजेण्डर पोर्टल ट्रांसजेण्डर पहचान प्रमाण-पत्र तथा पहचान-पत्र के ऑनलाइन आवेदन हेतु ट्रांसजेण्डर व्यक्ति को एक मंच प्रदान करता है। इस पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह ट्रांसजेण्डर व्यक्ति को बिना किसी वास्तविक संपर्क तथा किसी कार्यालय में जाए बिना पहचान-पत्र प्राप्त करने में सहायता करता है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं तथा अपना पहचान प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रकार प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है।

******